

35/2024 राबन्ध - राजपत सिंह

दिनांक	आज्ञा पत्र
20.6.24	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से रोष रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलांट ने रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलस सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुम्हर होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">भू-प्रबन्ध अधिकारी एव षदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर</p>